

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

विविध-आदेश

क्रमांक 68 / सा0लि0-70 / 2008

हरदा, दिनांक 15.10.2025

मैं, अरविंद रघुवंशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा, अक्टूबर 2025 में दीपावली पर्व के दौरान सार्वजनिक अवकाशों में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाता हूँ:-

निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीश स्वयं के न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर समय दोपहर 3:00 से 5:00 बजे तक मुख्यालय हरदा/तहसील मुख्यालय टिमरनी, खिरकिया क्षेत्रान्तर्गत से संबंधित सत्र प्रकरणों/विशेष प्रकरणों के संबंध में अत्यावश्यक प्रकृति के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई करेंगे:-

क्र.	दिनांक	न्यायिक अधिकारी
1	19.10.2025 एवं 21.10.2025	श्री निमिष राजा, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हरदा

नोट:- संबंधित न्यायाधीश के साथ उनके न्यायालय का स्टॉफ भी उपरोक्तानुसार उपस्थित रहकर कार्य संपादित करेंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

हरदा, दिनांक 15.10.2025

पृ0क्र0 1604 / सा0लि0-70 / 2008

प्रतिलिपि :-

1. श्री निमिष राजा, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हरदा
2. समस्त कर्मचारीगण, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. निज सहायक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सिस्टम ऑफिसर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विविध आदेश की प्रति जिला न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा